राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हल्द्वानी

मैनुअल – 04 कार्यों के निर्वहन के लिये निर्धारित मानक

विभाग द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण महानिदेशालय (डी0जी0टी0) नई दिल्ली द्वारा निर्देशित, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन0सी0वी0ई0टी0) तथा राष्ट्रीय शिशिक्षुता परिषद द्वारा निर्धारित विभिन्न मानकों का संस्थान स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। यह मानक एन0सी0वी0टी0 से मान्यता प्राप्त व्यवसायों के सम्बन्ध में भूमि, भवन, कर्मचारियों की संख्या, साज–सज्जा की आवश्यकता एवं विद्युत संयोजन आदि तथा पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में हैं। इनके विस्तृत विवरण महानिदेशक प्रशिक्षण महानिदेशालय (डी0जी0टी0) नई दिल्ली के निर्देशन में प्रकाशित प्रशिक्षण नियमावली तथा विभिन्न व्यवसायों के पाठयक्रमों एवं भारत सरकार के शिशिक्षु अधिनियम 1961 में उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के शासकीय सेवानियमों, वित्तीय स्वायत्तता नियमों, निदेशालय द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुरूप कार्य सम्पादित किये जाते हैं।

Scanned with OKEN Scanner